# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 106/2019

1. मनप्रीत सिंह पुत्र गुरजंट सिंह जट सिख निवासी 23 एम एल तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. गुरजंट सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जट सिख निवासी 23 एम एल तह0 व जिला श्री गंगानगर।
2. गुरजीत कौर पुत्री गुरजंट सिंह पत्नी गुरमीत सिंह जट सिख निवासी चक 1 सी छोटी तह0 व जिला श्री गंगानगर।
3. राजवीर कौर पुत्री गुरजंट सिंह पत्नी गुरविन्द्र सिंह जट सिख निवासी चक 2 जी एम डी घमडिया तह0 सूरतगढ जिला श्री गंगानगर।
4. नवजोत कौर पुत्री गुरजंट सिंह पत्नी मनप्रीत सिंह जट सिख निवासी चक 6 एफ ए रडेवाला तह0 करणपुर जिला श्री गंगानगर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर

– – प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए, 209

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री बलराम सुथार – – वादी
2. श्री विकास बिश्नोई – – प्रतिवादी– 1 ता 4

## –:: निर्णय ::–

दिनांक :–15.01.2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, प्रतिवादी सं0 1, वादी का पिता है तथा प्रति0 सं0 2 ता 4 वादी की सगी बहिने है, जो कि विवाहित है। प्रति0 सं0 1 के नाम से चक 23 एम एल तह0 श्रीगंगानगर के खाता सं0 82/93, मु0 न0 19,29 की कुल 4.704 हे0 में से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार से खाता सं0 81/92, मु0 न0 22,30,51 की कुल 12.713 हे0 में से 6.323 हे0 खातेदारी दर्ज है तथा खाता सं0 83/54, मु0 न0 19,55,56 की कुल 1.617 हे0 में से 0.405 हे0 तथा खाता सं0 20/32, मु0 न0 29 के 1.012 हे0 खातेदारी दर्ज है, जमाबंदीयो की नकलें शामिल है। उपरोक्त आराजी वादी के पिता प्रति0 सं0 1 को वादी के दादा/परदादा से मिली सम्पति व उसकी आय से बनायी हुई होने के कारण वादी व प्रति0 सं0 1 ता 4 के संयुक्त हिन्दु

परिवार के कर्ता व मैनेजर के रूप में प्रति0 सं0 1 के नाम दर्ज है, अतः जद्दी जायदाद होने से वादी का जन्म से हक हिस्सा बनता है। प्रति0 सं0 2 ता 4 की शादीयां उपरोक्त जद्दी जायदाद की आय से की गई, अतः उन्होने पारिवारिक समझौता में अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के हक में छोड़ दिया, अतः वादी व प्रति0 सं0 1 बहिस्सा बराबर के हकदार है। इस प्रकार वादी का उपरोक्त 18.444 हे0 में से 1/2 हिस्सा बनता है, कब्जा वादी व प्रति सं0 1 का संयुक्त रूप से चला आ रहा है। अब प्रति0 सं0 1 जो कि बुरी आदतों का शिकार है तथा गलत लोगों के प्रभाव में है, राजस्व रिकॉर्ड में भूमि समस्त प्रति० सं0 1 के नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर मुंतकिल करने के प्रयास में है तथा जिन लोगों के अनुचित प्रभाव में है, वह भी सस्ते में बिकवाकर भूमि हडपना चाहते है, यदि प्रति0 सं0 1 अपने इस गलत मकसद में सफल हो गया तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, अतः वादी दावा हाजा लाने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी सं0 1 से बार–बार आग्रह किया कि वह उपरोक्त तीनों खातों की 10.444 हे0 को जद्दी जायदाद होने का मानकर व वादी का जन्म से हक हिस्सा होने का मानकर तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 4 द्वारा पारिवारिक समझौता में अपना हक हिस्सा छोड़ने के कारण वादी को 1/2 हिस्सा का खातेदार हकदार मानकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाये तथा वादी को स्वयं अथवा अन्य किसी की सहायता से जबरन बेदखल करने से बाज व ममनु रहे मगर प्रतिवादी लालचवश होने के कारण टालमटोल करते हुए दिनांक 18.08.19 को साफ इंकारी है, जो कि बिनाए मुखासमत है, यही वादी को वाद हेतुक प्राप्त हुआ है। प्रति0 सं0 2 ता 4 का कानूनी हक हिस्सा बनता है, जबकि उन्होंने अपना हक हिस्सा छोड रखा है, अतः मुकदमा के निर्णय के लिए आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। लिहाजा वाद वादी पेश करके अर्ज है कि वाद वादी, बहक वादी, खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जावें –

(क) डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावें कि प्रति0 सं0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 23 एम एल के खाता सं0 82/93, मु0 न0 19,29 के 4.704 हे0 का 1/2 हिस्सा , खाता सं0 83/54, मु0 न019, 54, 55, 56 की कुल 1.617 हे0 में से 0.405 हे0 तथा खाता सं0 20/32, मु0 न0 29 की 1.012 हे0, खाता सं0 81/92, मु0 न0 22,30,51 की कुल 12.713 हे0 में से 6.323 हे0, कुल 10.444 हे0 में वादी वाद–पत्र में अंकित कारणों से 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

(ख) डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जावें कि उपरोक्त 8.444 हे0 को बिना विभाजन करवाये प्रति0 सं0 1 किसी भूमि को रहन बैय मुंतकिल करने, वादी को जबरन बेदखल करने से बाज व ममनु रहे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हक में हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

अधिकारी (राजस्व)
गंगानगर

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 27.08.2019 को राजीनामा पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार उपरोक्त अनवानी मुकदमा में हम फरीकेन का पंचायत ने आपस में राजीनामा करवाया है तथा राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा पारिवारिक समझौता द्वारा वादी व प्रति० सं० 1 के हक में छोड़ दिया है, अतः प्रति0 सं0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 23 एम एल के खाता सं0 82/93, मु0 न0 19, 29 के 4.704 हे0 का 1/2 हिस्सा, खाता सं0 83/54, मु0 न0 19,54,55,56 की कुल 1.617 हे0 में से 0.405 हे0 तथा खाता सं0 20/32, मु0 न0 29 की 1.012 हे0, खाता सं0 81/92, मु0 न0 22,30,51 की कुल 12.713 हे0 में से 6.323 हे0, कुल 10.444 हे0 में वादी का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 स्वीकार करता है, अतः उपरोक्त भूमि में वादी को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज किया जावें, इसमें प्रतिवादी को कोई आपति नहीं है, क्योंकि वादी का जददी जायदाद होने से व पारिवारिक समझौता द्वारा हर प्रकार से हक हिस्सा बनता है। लिहाजा यह राजीनामा पेश है कि इसके अनुसार दावा डिक्री किया जाकर वादी को खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने का आदेश फरमाया जावे, खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेगें। प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार राज द्वारा दिनांक 03.09.2019 से स्टेट जवाब पेश किया गया। जिसके तथ्यानुसार वादी संख्या 1 निस्फ हिस्सा का खातेदार बनना चाहता है। जबकि भूमि पैतृक नहीं होने के कारण राजस्व हानि होगी तथा भूमि बैंक के रहन है जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः वादी खारिज योग्य है।

बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई। वाद के समथर्न में वादी द्वारा अपने पिता गुरजंट सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह के नाम की जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 खाता संख्या 82/93 ग्राम 23 एमएल पटवार हल्का लट्ठांवाली, जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 खाता संख्या 83/54 ग्राम 23 एमएल पटवार हल्का लट्ठांवाली, जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 खाता संख्या 202/32 ग्राम 23 एमएल पटवार हल्का लट्ठांवाली, जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 खाता संख्या 81/92 ग्राम 23 एमएल पटवार हल्का लट्ठांवाली, जमाबंदी सम्वत् 2036 खाता संख्या 44 मुरब्बा नम्बर 29 ग्राम 23 एमएल पटवार हल्का लट्ठांवाली एवं अपने दादा श्री गुरबचन सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह की जमाबंदी सम्वत् 2036 खाता संख्या 16 मुरब्बा नम्बर 20 ग्राम 23 एमएल पटवार हल्का लट्ठांवाली, जमाबंदी सम्वत् 2036 खाता संख्या 19 मुरब्बा नम्बर 20 ग्राम 23 एमएल पटवार हल्का लट्ठांवाली, जमाबंदी सम्वत् 2036 खाता संख्या 21 मुरब्बा नम्बर 19 ग्राम 23 एमएल पटवार हल्का लट्ठांवाली, जमाबंदी सम्वत् 2036 खाता संख्या 23 मुरब्बा नम्बर 23 ग्राम 23 एमएल पटवार हल्का लट्ठांवाली की प्रमाणित प्रतियां जमाबंदी पेश की। उक्त जमाबंदीयों में भूमि वादी के पिता गुरजंटसिंह के नाम एवं गुरजंटसिंह को गुरबचनसिंह से प्राप्त होने से भूमि का विरास्तन होना सिद्ध होता है। वाद के समर्थन में वादी एवं प्रतिवादी

कारी (राजस्व)
ानगर

संख्या 1 ता 4 द्वारा साक्ष्य शथप पत्र पेश किये जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 अपने पुत्र के नाम अपनी स्वेच्छा से भूमि का 1/2 भाग राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहता है जिसके लिए वादी एवं प्रतिवादीगण के द्वारा सहमति जाहिर की गई एवं राजीनामा पेश किया जा चुका है एवम् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य किसी प्रकार का आपसी प्रतिवाद नहीं है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

## —:: क्रियात्मक आदेश ::—

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। प्रति0 सं0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 23 एम एल के खाता सं0 82/93, मु0 न0 19,29 के 4.704 हे0 का 1/2 हिस्सा , खाता सं0 83/54, मु0 न019, 54, 55, 56 की कुल 1.617 हे0 में से 0.405 हे0 तथा खाता सं0 20/32, मु0 न0 29 की 1.012 हे0, खाता सं0 81/92, मु0 न0 22,30,51 की कुल 12.713 हे0 में से 6.323 हे0, कुल 10.444 हे0 जद्दी जायदाद होने से वादी को 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 15.01.2020 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2020.02.07 17:14:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: